FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

हेतराम बनाम ज्ञानप्रकाश वगै.

किस्म मुकदमा :– वाद–पत्र मु.नं. एवं सन 51/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
08.09.17	आज यह दावा वादी की ओर से श्री रामकुमार तेतरवाल एडवोकेट द्वारा पेश किया गया । सरिस्ते से रिपोर्ट हुई । राजस्व वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वास्ते आईन्दा दिनांक 25/10/17 को पेश हो ।	
26/10/17	पत्रावली पेश हुई वादी व वादी वकील हाजिर । प्रतिवादी सं. 01 हाजिर है वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत–दावा विड्रावल पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया जाता है। चूंकि वादी के प्रार्थना पत्र अनुसार उसका, प्रतिवादीगण के साथ आपस में राजीनामा हो चुका है तथा वाद पत्र नहीं चलाना चाहते हैं, अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23. 23 नियम-1 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद 51/2017, दावे के परित्याग के कारण खारिज किया जाता है वादी, इसी दावे की विषय वस्तु के बारे में नया वाद, इस न्यायालय में संस्थित करने से प्रवारित (precluded) रहेगा। निर्णय विवृत सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला–बीकानेर)